न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

जानकी लाल पुत्र स्व. श्री लखमी चंद जाति लक्षकार (लखेरा), निवासी खांदडा पाडा, थाना व तहसील टोड़ाभीम जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

1. राजेश कुमार
2. धर्मेश कुमार

} पि. श्री जानकीलाल जाति लक्षकार (लखेरा) निवासी खांदडा पाडा, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली (राज.) — रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 19.09.2019 मु.नं. 01 / 2019 भरण–पोषण अधिकारी (उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट) टोड़ाभीम, जिला करौली (राज.) अंतर्गत धारा 16(1) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

निर्णय

दिनांक 24.02.2020

यह अपील माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलाण्ट की उम्र 60–65 वर्ष के बीच होने एवं उसके निर्वाह व भरण–पोषण के लिए भरण–पोषण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) टोड़ाभीम द्वारा अपीलार्थी को रेस्पोण्डेण्ट्स से 1500–1500 रुपये प्रति कुल 3000 रुपये मासिक भत्ता स्वीकृत किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

वकील रेस्पोण्डेण्ट्स ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी लगभग 64 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहता है, आंखों से कम दिखाई देता है तथा अब इस उम्र में अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। अपीलार्थी ने अपनी समस्त कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने, उनके विवाह करने, मकान खरीदने एवं परिवार के लालन–पालन में खर्च कर दी है। अपीलार्थी ने मकान अपनी पत्नि के नाम से खरीदा था जिसे पत्नि अब पुत्रों एवं पुत्रवधुओं के प्रभाव में आकर बेचकर जयपुर मकान बनाना चाहती है। मकान बेचने से रोकने की कहने पर बच्चों ने खाना देना बंद कर दिया है। अपीलार्थी अपना खाना स्वयं, मकान के नीचे बने दुकाननुमा कमरे में बनाकर खाता है। बीमार होने पर भी पत्नि एवं बच्चे मदद नहीं करके पड़ौसी एवं जान–पहचान वाले की मदद करते हैं। अब अपीलार्थी के पास भरण–पोषण का कोई जरिया नहीं है। अतः अपीलार्थी ने अपने पुत्रों राकेश पेशा अध्यापक वेतन 50000 रुपये प्रतिमाह, धर्मेश पेशा साफ्टवेयर इंजीनियर वेतन 60000 रुपये प्रतिमाह से उनकी आय के अनुरूप भरण–पोषण हेतु निर्वाह भत्ता दिलवाये जाने हेतु भरण पोषण अधिकारी के समक्ष निवेदन किया गया था। भरण–पोषण अधिकारी द्वारा पुलिस विभाग से जांच करवाई थी जिसमें उन्होने अपीलार्थी को भरण–पोषण भत्ता दिलवाये जाने हेतु अंकित किया गया था जिसपर भरण–पोषण अधिकारी द्वारा

गौर नहीं किया गया है और ना ही अपीलार्थी की बुनियादी आवश्यकताओं विशेषतः भोजन, कपडे, आवास और स्वास्थ्य देखभाल को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम, विरोधी पक्षकार की आय, आवेदक की सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो विरोधी पक्षकार को विरासत में प्राप्त होगी और/या उसके कब्जे में है, का मूल्य और उससे वास्तविक संभाव्य आय पर ही गौर किया गया है। रेस्पोण्डेण्ट्स पड़ौसी एवं जानकारों को अपीलार्थी की मदद करने पर धमकाते हैं। भरण–पोषण अधिकारी द्वारा निर्णय में उल्लेख किया है कि ''न्यायालय में मेरे द्वारा व उपस्थित अन्य वकीलान द्वारा भी दोनों पक्षों में समझाईश कर राजीनामें के प्रयास किये गये लेकिन प्रार्थी, अप्रार्थीगण व पत्नि के साथ रहने को तैयार नहीं हुआ।'' उपस्थित वकीलों को प्रकरण के तथ्य ही पता नहीं थे तो वे क्या समझाइश करेंगे। भरण–पोषण अधिकारी द्वारा निर्णय में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी को मैंने समझाया एवं प्रार्थी/अपीलांट को उसकी जीवन की सुरक्षा हेतु आश्वस्त किया। प्रार्थी इस मकान में आने के समय से ही दुकाननुमा कमरे में उठता बैठता रहा है। रेस्पोण्डेण्ट्स उक्त दुकान को हड़पकर अपीलाण्ट को परेशान करना चाहते हैं। अपीलाण्ट को खुली हवा की आवश्यकता है। चार आदमी उसकी बीमारी के समय समाचार पूछने भी आते हैं। रेस्पोण्डेण्ट्स ने कहीं भी अपने बयानों में उक्त दुकान को खाली करने का कथन नहीं किया है। भरण पोषण अधिकारी ने दुकाननुमा कमरे जिसमें खिड़की, रोशनदान, रोशनी, हवा का प्रवेश है एवं अपीलार्थी को लगाव है, के बजाय अन्दर चौक में स्थित अंधेरा कमरा जिसमें कोई खिडकी, मोरी, रोशनदान नहीं है एवं शौचालय के नजदीक है, में रहने के आदेश दिये हैं जो न्यायोचित नहीं है। रेस्पोण्डेण्ट्स ने अपने बयानों में उल्लेख किया है कि ''दुकान के पास कमरा बना हुआ है। हम प्रार्थीगण की दुकान के ऊपर कमरे में निवास करते हैं। दुकान के पीछे का कमरा इनको दे दिया जावे, दुकान के किराये से भरण पोषण हो जावेगा।'' स्पष्ट है कि रेस्पोण्डेण्ट्स, अपीलार्थी का भरण–पोषण करने में सक्षम हैं, फिर भी दुकान के किराये से अपीलार्थी का भरण–पोषण करना चाहते हैं। भरण पोषण अधिकारी ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी दुकाननुमा कमरे को खाली कर पीछे वाले कमरे में जाने में सहमत हैं जबकि अपीलार्थी ने न तो लिखित सहमति दी है और न ही मौखिक सहमति दी है। भरण पोषण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की प्रत्यर्थीगण से सुरक्षा बाबत् कोई उल्लेख नहीं किया है। अंत में अपीलार्थी द्वारा भरण पोषण हेतु प्रत्येक पुत्र से उनकी सक्षमता को देखते हुए 1500–1500 रुपये के स्थान पर 5000–5000 रुपये प्रदान करवाने, दुकाननुमा कमरे से बेदखली के आदेश को निरस्त फरमाने, मकान को विक्रय नहीं करने हेतु पाबंद फरमाने का निवेदन किया है।

वकील प्रत्यर्थीगण ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में क्या–क्या त्रुटियां की गई हैं, सम्पूर्ण अपील में अंकित नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का कोई ठोस आधार अपील में प्रस्तुत नहीं किया गया है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2बी के अनुसार भरण पोषण में भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सकीय सुविधा और उपचार के प्रावधान शामिल हैं। इसके लिए अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण से 150–1500 रुपये प्रतिमाह अपीलाण्ट को दिये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये हैं कि अपीलाण्ट वर्तमान दुकान जो अपीलाण्ट के कब्जे में है, को खाली कर मकान में पीछे बने कमरे में रिहायश करेगा जिसकी अपीलाण्ट द्वारा पालना न करके विपक्षीगण से अपीलाण्ट द्वारा अनैतिक कार्य सट्टे–जुआ करने के लिये कोई राशि दिलाना का कानून के प्रावधानों में वर्णित भरण पोषण के विपरीत है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोण्डेण्ट्स की ओर से अपीलाण्ट द्वारा सट्टा लगाने की पर्चियां पेश की

हैं और इनकी सट्टे लगाने की लत को छुड़ाने के लिये ही मकान के अंदर स्थित कमरा वास्ते रिहायश के लिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप है। अपीलाण्ट का यह दायित्व है कि वह अपनी परित्यक्ता पत्नि जो पहले से दुःखी है, का भरण पोषण करे। अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय में यह स्वीकृत तथ्य है कि वह ऐसी दुःखी औरत को निर्वाह भत्ता नहीं देता है। केवल बनावटी आधार पर ही बीमार रहता है, कम दिखता है। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिलाई गई 3000/– रुपये प्रतिमाह की राशि काफी है। विकल्प में हम प्रार्थीगण का अपीलाण्ट से यह निवेदन किया गया है कि आप अपने आपको अपने कथनानुसार अपना जीवन यापन करने में असमर्थ समझते हो तो हमारे साथ परिवार में रहकर ईश्वर का भजन करते हुए अपने शेष जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करो, हम आपकी हर आवश्यकता जो कानून के प्रावधानों में वर्णित है, उसकी पूर्ति करने के लिये तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। अपीलाण्ट द्वारा अपनी गलत आदतों, दुर्व्यसनों, जुआ–सट्टे की लत को बनाये रखने के लिए यह गलत आधारों पर अपील प्रस्तुत की है जिसकी कानून किसी प्रकार से भी आज्ञा नहीं देता है। अपीलाण्ट का मद सी में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाण्ट की पत्नि प्रेमदेवी के नाम से सिविल न्यायाधीश टोड़ाभीम में वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अकारण राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे दुरुपयोग के लिए भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अपीलाण्ट को उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3000/– रुपये की राशि पर्याप्त है, किन्तु जुआ–सट्टे के लिये यानि राशि का दुरुपयोग करने के लिये यह राशि कम होना अपीलाण्ट की मंशा के अनुसार ही हो सकता है। किसी भी पड़ौसी को अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जो अपीलाण्ट के भरण पोषण में सहयोग करता हो, ना ही रेस्पोण्डेण्ट्स के आचरण के विपरीत ऐसा कोई तथ्य दर्ज किया है कि रेस्पोण्डेण्ट्स किसी प्रकार का अनैतिक व्यसन करके उनको प्राप्त राशि का दुरुपयोग करता हो। अपीलाण्ट के अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं करने के संबंध में निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत मुख्य प्रार्थना पत्र को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शीघ्रता से निस्तारित कर दिया गया है जिसकी पालना अपीलाण्ट द्वारा नहीं की गई है एवं पालना में देरी किये जाने के उद्देश्य से यह अपील पेश की गई है ताकि वह दुकाननुमा कमरे में रहकर सट्टे का रोजगार करता रहे और दुकाननुमा कमरा खाली नहीं करना पड़े। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुलह कराने के भरसक प्रयास किये गये किन्तु अपीलाण्ट जुआ–सट्टे के साथियों के बहकावे में आकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिये तैयार नहीं हुआ इसके बावजूद रेस्पोण्डेण्ट्स, अपीलार्थी की हरसंभव मदद एवं भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने हेतु तैयार हैं वशर्ते कि अपीलार्थी अपनी जुआ–सट्टे लगाने की बुरी लत का परित्याग करने के लिये अपना वचन पत्र न्यायालय में पेश करे। रेस्पोण्डेण्ट्स व उनकी मां की तहेदिल से इच्छा है कि अपीलार्थी अपना सुखमय जीवन व्यतीत करे। अपनी जुआ–सट्टा की लत को इसी जीवन में त्याग दे लेकिन अपीलार्थी अपनी जुआ–सट्टे लगाने की आदत को यथावत् बनाये रखने के लिए दुकाननुमा कमरे को छोड़ना नहीं चाहता है। रेस्पोण्डेण्ट्स, अपीलार्थी की सुख सुविधा के लिए हरसंभव मदद को तैयार हैं। अपीलार्थी द्वारा बच्चों की पढ़ाई, शादी व मकान खरीदने में कोई फर्ज नहीं निभाया है। पूरी जिन्दगी गलत कार्यों में पैसा खर्च किया। पत्नि ने सिलाई कार्य, चूड़ों का कार्य करके बच्चों की पढ़ाई, शादी की। छोटे पुत्र ने एज्युकेशन लोन लेकर पढ़ाई की। रेस्पोण्डेण्ट्स के ननिहाल पक्ष ने ही बच्चों को अपने पास रखा, शादी आदि कार्यों में खर्च किया जिसका कर्ज दोनो पुत्र अदा कर रहे हैं। अपीलार्थी ने मकान स्वयं के नाम कराने के उद्देश्य से पत्नि के खिलाफ मकान बेचने

का झूंठा आरोप लगाकर वाद दायर किये। अपीलार्थी शुरुआत से ही प्रत्यर्थीगणों के पास खाता था। पुलिस ने रेस्पोण्डेण्ट्स से कोई पूछताछ नहीं की है एवं बिना वेतन पर्चियों के आये 50–60 हजार लिख दी है जिसका कोई प्रमाण नहीं है और ना ही अपीलाण्ट के कपड़ों की दुकान चलाने का कोई जिक्र किया। भरण पोषण में विरोधी पक्ष के साथ पीड़ित पक्ष की आय भी देखी जाती है। अपीलार्थी स्वयं कपड़ों की दुकान से 15 से 20 हजार रुपये कमा लेता है। अपीलाण्ट आये दिन विपक्षीगण व उनकी मां से मारपीट करता है और मकान पत्नि के नाम होने पर भी पत्नि व बच्चों को घर से निकाल दिया और कमरों के ताला लगा दिया। रेस्पोण्डेण्ट्स पूरे दो साल किराये के मकान में रहे तथा पत्नि के महिला आयोग से मदद मांगने पर अपीलाण्ट से ताला खुलवाया गया। अपीलार्थी जिस दुकान को कमरा बताता है वह कमरा ना होकर मुख्य बाजार टोड़ाभीम में कॉर्नर की दो खन की दुकान है जिससे अपीलांट आय प्राप्त करता है एवं इसी दुकान के पास घर के मुख्य दरवाजे को बाहर से रात को बंद करके ताला लगा देता है। दुकान में सट्टे की पर्चियां, नशीले पदार्थ का सेवन करने, गलत लोगों के बैठने के उद्देश्य से रात को दुकान में ही सोता है। अपीलाण्ट को कोर्ट निर्णय आने से पहले ही घर में ऊपरी मंजिल पर सबसे बड़ा कमरा, किचन दे रखी है जिसमें शुद्ध हवा के लिए तीन खिड़किया हैं जिसमें अपीलाण्ट खाना बनाता है व उस पर ताला लगाके रखता है। बड़े पुत्र की आय लोन किश्त चुकाने के बाद 14000 रुपये बचती है जिसमें परिवार का पालन पोषण, बहन, रिश्तेदारों पर खर्च होता है तथा छोटा पुत्र अल्प आय प्राईवेट कार्य करके कमाता है जिसमें उसका स्वयं का खर्चा चलाना मुश्किल होता है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के अनुतोष में 30000 रुपये प्रतिमाह की भरण पोषण राशि की मांग की गई है लेकिन यह किस मद में खर्च किया जावेगा, इसका ब्यौरा अपील के साथ पेश नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह राशि जुआ–सट्टे के लिये है, भरण पोषण के लिये 3000 रुपये पर्याप्त हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी स्वयं भी इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलार्थी लगभग 60–65 साल का व्यक्ति है जिसे कम दिखाई देना या स्वयं रोजगार करने में समर्थ ना होना, विदित नहीं हुआ। अपीलार्थी द्वारा अपने बीमार होने का कोई साक्ष्य अदालत हाजा में पेश नहीं किया है। अपीलार्थी स्वस्थ व्यक्ति है एवं रोजगार करने में स्वयं सक्षम है। अपीलार्थी जिस दुकाननुमा कमरे में रहता है, वह असल में कमरा ना होकर दुकान ही है। रेस्पोण्डेण्ट ने अपीलार्थी द्वारा उक्त दुकान में चलाई जा रही सिलाई की दुकान एवं उससे आय होना बताया जिसका अपीलार्थी द्वारा विरोध नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है अपीलार्थी सिलाई की दुकान करता है एवं उससे आय भी प्राप्त करता है। रेस्पोण्डेण्ट्स द्वारा अपीलार्थी की सट्टे की पर्चियां भी पेश की जिनसे अपीलार्थी को सट्टा लगाने की लत होना विदित होता है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध होना जाहिर किया एवं अपीलार्थी को साथ रहने बाबत् निवेदन किया लेकिन अपीलार्थी, प्रत्यर्थीगण के साथ रहने को तैयार नहीं हुआ। फिर भी अपीलाण्ट की भविष्य की परेशानियों को देखते हुए उसके भरण–पोषण की राशि को बढ़ाकर 4000 रुपये प्रतिमाह किया जाना उचित होगा। इसके साथ–साथ अपीलार्थी द्वारा किये जा रहे अनैतिक व गैर कानूनी कार्य जुआ–सट्आ लगाना की लत को छुड़ाया जाना भी आवश्यक है। अपीलार्थी इस कार्य को अपने दुकाननुमा कमरे से क्रियान्वित करता है जिसे अपीलार्थी से खाली करवाया जाना एवं अपीलार्थी के रहने के लिए शुद्ध हवायुक्त कमरा दिलवाया जाना

उचित है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.09.2019 में अंकित अप्रार्थीगण दोनों पुत्रों द्वारा प्रत्येक माह 1500–1500 रुपये प्रार्थी जानकी लाल के बैंक खाते में राशि जमा करवाने की हद तक निरस्त किया जाता है एवं भरण–पोषण राशि बढ़ायी जाकर ''अप्रार्थीगण दोनों पुत्र प्रत्येक माह 2000–2000 रुपये प्रार्थी जानकी लाल द्वारा उपलब्ध करवाये गये प्रार्थी के बैंक खाते में माह की 1 से 5 तारीख तक जमा करवायें, जोड़ा जाता है। शेष निर्णय यथावत् रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:06:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: